[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 48/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली 9 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि..........(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 41/2019 केन्द्रीय कर, तारीख 31 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.संख्यांक 618(अ), तारीख 31 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में –

(क) खंड (ii) में "20 सितम्बर" अंकों और शब्द के स्थान पर "11 अक्तूबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

"(v) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररुप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होनें मास अगस्त, 2019 के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के **प्ररुप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदाय के ब्यौरे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से, 11 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(vi) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, से उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररुप जीएसटीआर-7** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए उक्त नियमों के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटीआर-7** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 10 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(vii) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, से उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररुप जीएसटीआर-7** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए उक्त नियमों के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटीआर-7** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 10 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(viii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररुप जीएसटीआर-3ख** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 20 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ix) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररुप जीएसटीआर-3ख** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटीआर-3ख** विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 20 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं।

(फा.सं. 20/06/07/2019-जीएसटी)

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं. 41/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 31 अगस्त, 2019, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, में संख्यॉक सा.का.नि.618 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई ।